Minister for Parliamentary Affairs is sitting here. I am not telling anything to Mr. Advani because he is not concerned with it. The Minister for Parliamentary Affairs should convey to the Prime Minister that this is not the way that you introduce a Bill and then forget about it and take advantage of other things so that the Members do not remember it. We are not that forgetful in this matter. I hope that the matter is being raised in the other House also. The Bill should first be passed there and then here. It will take any time at all. No programme will be disturbed. Nothing comes in the way except the motivations of the Government. They can pass the Bill without, in the slightest manner, disturbing the official business or any other business that is already before the House. Therefoe, I demand that this should be done immediately and we should not wait for another two months. I find that they are very prompt in other things, but not in this.

STATEMENT BY MINISTER
Restructuring of the Liquified Petroleum Gas Agencies

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : श्रीमन्, इस सदन मे पहले बताया जा चुका है कि तरल पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) अथवा खाना पकाने की गैस की विभिन्न कंपनियों की वर्तमान एजेंसियों के पुनर्गठन और उसके फलस्वरूप नयी एजेंसियां खोलने के संबध मे एक वक्तव्य दिया जायेगा। मै अब सदन को इस संबंध मे सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहता हूं।

जहा यह जरूरी है कि खाना पकाने की गैस के विभिन्न कपनियो के वितरकों के पास एजेंसी का आकार ऐसा हो जो एजेंसी के किफायती और दक्षतापूर्ण काम करने मे सहायक सिद्ध हो, वहा इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि ये वितरण एजेंसियां इतने बडे आकार की न हो जाये या इतने बडे आकार की न बनी रहे जिससे अन्य व्यक्ति इस प्रकार की वितरण एजेंसियों को चलाने के अवसर से वचित रह जाये। इस उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए अब एक ऐसी सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है जहां तक कोई वितरक अपना व्यापार जारी रख सकेगा या बढा सकेगा। काम करने की विभिन्न शर्तों और विभिन्न इलाकों में कार्य सचालन की लागत पर विचार करते हुए प्रत्येक वितरक के लिए प्रति माह सिलिण्डरों के रिफिल की अधिकतम सख्या निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है :—

मार्केट	प्रति माह रिफिल की सख्या
बम्बई . . .	6,000
दिल्ली . .	4,000
10 लाख से अधिक जनसख्या वाले नगर . .	3,500
दो लाख और 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले नगर . .	3,000
अन्य स्थान . .	2,500

सहकारी समितियों को उक्त सीमाओं मे छूट होगी।

तेल कंपनियों को अब निदेश दे दिया गया है कि वे इन सीमाओं के आधार पर अपनी वर्तमान वितरण एजेंसियो के पुनर्गठन के लिए कदम उठाये। परन्तु हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० और कैलटेक्स आयल रिफाईनिग (इडिया) लि० की खाना पकाने की गैस का वितरण अधिकाशतः मैसर्स कोमन गैस कंपनी जे० के० गैस कपनी, ईस्ट कोस्ट गैस कपनी, डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लि० आदि अनुदानग्राही कपनियों (कसेशनरीज) के माध्यम से किया जाता है। ये अनुदानग्राही कपनियां अपने एजेंटों के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस सप्लाई करती है। इन अनुदानग्राही कपनियों का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लेने के बाद ही इनकी एजेंसियो के पुनर्गठन से सबधित प्रश्न पर विचार करना संभव होगा। इस सबध मे पहले से ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। अन्य दो कपनियो अर्थात् इडियन आयल कार्पोरेशन लि० और भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० को जो खाना पकाने की गैस की मार्केटिंग सीधे अपने वितरको के माध्यम से करती है, इन्ही सीमाओं के आधार पर अपनी वर्तमान एजेंसियों का पुनर्गठन करने की सलाह दी गयी है। इंडियन आयल कार्पोरेशन अपने उन कुछ वितरको के व्यापार में सुधार करने के लिए इस अवसर का लाभ उठायेगा, जिनके वर्तमान व्यापार मे उचित लाभ की व्यवस्था करने के लिए सुधार अपेक्षित है।

सदन में पहले यह भी घोषणा की गयी थी कि अगले वर्ष मे विभिन्न तेल कंपनियो द्वारा तीन लाख नये ग्राहकों को गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। इन सीमाओं के आधार पर वर्तमान वितरण एजेंसियों के पुनर्गठन और तीन लाख ग्राहकों को गैस सप्लाई करने के उद्देश्य से अतिरिक्त कुकिंग गैस की मार्केटिंग पर विचार

(श्री जनेश्वर मिश्र)

करते हुए देश के विभिन्न भागों में 87 स्थानों पर नयी एजेंसिया खोली जायेंगी।

हमने सितम्बर, 1977 में निर्णय लिया था कि नयी खोली जाने वाली एजेंसियों में से 25 प्रतिशत एजेंसियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के लोगो को आवटित की जायेंगी। इन 87 एजेंसियों मे से 24 एजेंसिया अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिये जाने का प्रस्ताव है।

उन स्थानो के नाम, जहा पर अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ये नयी एजेंसिया दिये जाने का प्रस्ताव है, वे है: बंगलूर, वेतूल या बालाघाट, ग्रेटर बम्बई (2) बड़ौदा, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कड़प्पा या अनन्तपुर, दिल्ली, गोहाटी, जयपुर, कानपुर, खानपुर या उडिपी, मद्रास, महाड, मुरादाबाद, मैसूर, नागपुर, नान्देड़ पटना, पुणे (2), रत्नगिरि और सूरत।

स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण का जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए मै माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मंत्री जी ने जो ब्यान दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात उनसे जानना चाहता हूं कि जब नई सीमाएं निर्धारित करेंगे तो उसके मुताबिक कुछ लोगो को अधिक देना पडेगा और कुछ का कम करना पडेगा तो इसमें मंत्री जी क्या इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन वितरकों की शिकायत रही है और जो ब्लैक मे बेचने है, जैसे—हमारे वाराणासी गैस कम्पनी के बारे में भी शिकायत है कि वह ब्लैक पर बेचते है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाएगा? दूसरी सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट की है। जो आपके रिफाइनरीज है उनसे गैस सिलेंडर आने है उसके लिये ट्रांसपोर्ट की समस्या आती है और इसमे बराबर ब्लैक होता है तो मंत्री जी क्या यहां के ट्रासपोर्ट के लिये उचित व्यवस्था करेंगे? तीसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अल्प संख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। लेकिन इसके लिये यहा इस स्टेटमेंट मे कोई बात नही कही गई है, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये बात कही है। इनके लिये बात कही है यह तो ठीक है लेकिन अल्पसंख्यकों के लिये कुछ नहीं कहा गया इसके लिये मंत्री जी की क्या राय है यह बताएं? चौथी बात यह है कि आपने एजेंसियां बढ़ाने की बात कही है। इसमें कानपूर का नाम भी है लेकिन अन्य दूसरे शहरों मे, जहां से इसकी मांग आ रही है, जैसे मुगलसराय से इसकी बराबर मांग आ रही है और यहां इसकी बहुत जरूरत भी है, इसका नाम इस लिस्ट में इक्लूड है या नही? ये चार बातें मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

MR. CHATRMAN: Would you like to clarify anything?

श्री जनेश्वर मिश्र: इसकी कोई जरूरत नही है।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Lokpal Bill, 1977

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha at its sitting held on the 12th May, 1978, has adopted the following motion further extending the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Lokpal Bill, 1977:—

MOTION

'That this House do further extend upto the last day of the first week of the next session, the time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide for the appointment of a Lokpal to inquire into allegations of misconduct against public men and for matters connected therewith.'"

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, we have received a message from the Lok Sabha. I propose and request you to kindly send a message to the Lok Sabha, namely, "That this House regrets that the Lok Sabha have not transmitted to this House the Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill, as passed by the Lok Sabha, for being considered and passed by this House." This message may kindly be sent to the Lok Sabha.